कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
सामान्य वर्ग

पत्रांकः 852 एम0टी0 / सामान्य वर्ग / 54एम0–26 / 2021 दिनांकः 16 / 03 / 2022

कार्यालय–ज्ञाप

मेसर्स सिंह टेक्नो इन्फ्रा प्रा0लि0, प्लाट नं0–55, सिंह इंजीनियरिंग कैम्पस, 84 / 54, जी0टी0 रोड, जरीब चौकी, कानपुर का लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में मार्ग कार्य करने हेतु श्रेणी 'ए' की ठेकेदारी में पंजीरकण इस कार्यालय के पत्रांक–1005एम0टी0 / सामान्य वर्ग / 54एम–26 / 10 दि0 11.02.2010 एवं अन्तिम नवीनीकरण पत्रांक–10072एम0टी0 / सामान्य वर्ग / 54एम–26 / 10 दि0 03.01.2013 द्वारा दिनांक 30.06.2015 तक के लिए किया गया है जिसमें कम्पनी के निदेशक 1. श्री राजहंस हरगोविन्द सिंह 2. श्रीमती सुनीता सिंह हैं।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद कानपुर नगर मे पैकेज संख्या यू0पी0 4137 के अनुबन्ध संख्या 39 / एसई–पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त कानपुर / 2013–14 दिनांक 13.09.2013 का गठन कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0 एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0, कानपुर द्वारा **"नौरंगा से भीतरगॉव मार्ग"** के निर्माण कार्य व 5 वर्षीय अनुरक्षण कार्य कराने हेतु गठित किया गया था।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ठेकेदार द्वारा दिनांक 01.04.2019 से लगातार (अनुरक्षण अवधि के चतुर्थ वर्ष की प्रथम छमाही से पंचम वर्ष की द्वितीय छमाही तक) अनुबन्धानुसार मार्ग पर अनुरक्षण कार्य नहीं कराया गया है, जिससे मार्ग पर अनुरक्षण के सभी 13 बिन्दुओं पर मार्ग की स्थिति अत्यन्त जर्जर / दयनीय हो गयी है।

अनुरक्षण कार्य कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1(प्र0प0), लो0नि0वि0, कानपुर नगर द्वारा अपने पत्रांक 345 / 4सी0(यू0पी0 4137) दिनांक 16.05.2019, पत्रांक 382 / 4सी0 (यू0पी0 4137) दिनांक 29.05. 2019, पत्रांक 569 / 4सी0(यू0पी0 4137) दिनांक 03.08.2019, पत्रांक 584 / 4सी0(यू0पी0 4137) दिनांक 05.08. 2019 एवं पत्रांक 688 / 4सी0 (यू0पी0 4137) दिनांक 18.09.2019 द्वारा ठेकेदार को अवगत कराया गया तथा इसी क्रम में कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0, कानपुर द्वारा अपने पत्रांक 1103 / 32सी0(यू0पी0 4137)–पी.एम.जी.एस.वाई.वृत्त / 19 दिनांक 31.05.19, पत्रांक 10700 / 32सी.(यू.पी.4137)–पी.एम.जी.एस.वाई.वृत्त / 19 दिनांक 06.08.19 एवं पत्रांक 2011 / 32 सी0(यू0पी0 4137)–पी0एम0जी0 एस0वाई0 वृत्त / 19 दिनांक 20.09.2019 द्वारा अनुरक्षण कार्य कराने हेतु अवगत कराया गया, परन्तु ठेकेदार द्वारा कार्य कराने में कोई रूचि नहीं दिखाते हुये अनुरक्षण कार्य का समय निकल जाने की प्रतीक्षा करते रहे है।

उपरोक्त कृत्य अनुबन्ध की शर्त संख्या 32.2 का स्पष्ट उल्लघंन है। ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो का उल्लघंन करने के कारण अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1(प्र0प0), लो0नि0वि0, कानुपर नगर द्वारा अनुबन्ध की शर्त 52.2 के अर्न्तगत जमानत धनराशि रू0 18,90,089.00 को जब्त करने व अनुबन्ध को निरस्त करने की संस्तुति अपने पत्र सं0 754 / 4सी0(यू0पी0 4137) दिनांक 24.10.2019 द्वारा की गयी है, जिसके आधार पर कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0, कानपुर द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या 2533 / 32सी0(यू0पी0 4137)–पी.एम.जी.एस.वाई. वृत्त / 2019 दिनांक 20.12.2019 द्वारा अनुबन्ध को निरस्त कर जमानत धनराशि को जब्त करने के आदेश पारित किये गये तथा फर्म को काली सूची में डाले जाने की संस्तुति की गयी, उपरोक्त के तारतम्य में मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई, लो0नि0वि0 लखनऊ द्वारा पत्रांक 1181प्र.प. / 462प्र.प. / 10 दिनांक 19.11.2019 एवं पत्रांक 212प्र0प0 / 462प्र0प0 / 10 दिनांक 26.02.2020 द्वारा उक्त फर्म को काली सूची में डालने हेतु मुख्य अभियन्ता, (मु0–2), सामान्य वर्ग, लो0नि0वि0, लखनऊ को प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त कार्यवाही से स्पष्ट होता है कि ठेकेदार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत पैकेज संख्या यू0पी0 4137 के मार्ग नौरंगा से भीतरगॉव का अनुरक्षण कार्य अनुबन्ध में दिये गये प्राविधानों एवं गाइड लाइन्स के अनुसार नहीं किया गया, जिसके लिये ठेकेदार पूर्णतया दोषी है तथा ठेकेदार अनुबन्ध की शर्त संख्या 52.2 का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है।

उक्त कृत्य हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–9390एम0टी0 / सामान्य वर्ग / 54एम0–26 / 2010, दिनांक–30.07.2020 द्वारा उक्त कम्पनी / निदेशकों को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। जिसका उत्तर कम्पनी / निदेशकों ने दि0–18.08.2020 द्वारा दिया गया। जिस पर इस कार्यालय के पत्र सं0–11014एम.टी. /

शेष 2.....पर

सा0 वर्ग/54एम0–26/2010, दि0–01.09.2020 एवं अन्तिम अनुस्मरण पत्र सं0–780एम0टी0/सा0 वर्ग/54एम0–26/2010, दि0–02.02.2022 द्वारा मुख्य अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई., लो0नि0वि0 लखनऊ से आख्या मांगी गयी थी, जिसके क्रम में मुख्य अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई., लो0नि0वि0 लखनऊ के पत्र सं0–129 प्र0प0/462प्र0प0/07, दिनांक–03.02.2022 द्वारा काली सूची में डाले जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उक्त कृत्य हेतु कम्पनी/निदेशकों को शासनादेश संख्या–2365 एम0एस0/23–पी0डब्लू0–41 एम0एस0/1954, दिनाँक–24.08.1982 एवं प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या–362 एम0टी0जी0/70एफ0–68 दिनाँक–08.10.1982 द्वारा ठेकेदारों के लिए वर्गीकरण एवं पंजीकरण नियमावली के नियम–15(1) के अन्तर्गत उपयुक्त पंजीकरण संबंधी सुसंगत शासनादेशों एवं शासनादेश संख्या–4127 एम0एस0/23 सा0नि0अनु0(7) दिनाँक–02.12.1974 के अन्तर्गत दोषी मानते हुए मेसर्स सिंह टेक्नो इन्फ्रा प्रा0लि0, प्लाट नं0–55, सिंह इंजीनियरिंग कैम्पस, 84/54, जी0टी0 रोड, जरीब चौकी, कानपुर को कालीसूची में डाले जाने के आदेश पारित किये जाते है।

उक्त आदेश प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0), लो0नि0वि0, उ0प्र0 के अनुमोदन से निर्गत किये जा रहे हैं।

16/3/22
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियन्ता(मु0–2),
लो0नि0वि0, लखनऊ

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियन्ता, विश्वबैंक, रा0मार्ग, पी0एम0जी0एस0वाई0, डास्प/सोडिक लो0नि0वि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति अपने स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ताओं एवं कार्य अधीक्षकों को उपलब्ध करा दें।
2. मुख्य अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई., लो0नि0वि0 लखनऊ के पत्र सं0–129 प्र0प0/462प्र0प0/07, दिनांक–03.02.2022 के संदर्भ में।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड/उ0प्र0 सेतु निगम, लखनऊ।
4. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ।

पंजीकृत–

7. मेसर्स सिंह टेक्नो इन्फ्रा प्रा0लि0, प्लाट नं0–55, सिंह इंजीनियरिंग कैम्पस, 84/54, जी0टी0 रोड, जरीब चौकी, कानपुर।
8. अधि0अभि0, कम्प्यूटराइजेशन खण्ड, लो0नि0वि0 लखनऊ को पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु।

16/3/22
मुख्य अभियन्ता(मु0–2),
लो0नि0वि0, लखनऊ